भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4702

दिनांक 20 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ओआरएस के विकल्प के रूप में 'एवरीडे हाइड्रेशन' पेय की बिक्री

+4702. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा अनुशंसित ओआरएस फॉर्मूलेशन के विकल्पों के रूप में भारत में 'एवरीडे हाइड्रेशन' पेय बेचने वाले सभी ब्रांडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे पेयों और डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित ओआरएस फॉर्मूलेशन की पैकेजिंग के बीच किस हद तक समानता है और इसकी जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा ऐसे उत्पादों में उपयोग किए जाने वाले कृत्रिम मिठास कारकों के बच्चों में भूख, आंत के स्वास्थ्य और अतिसार के लक्षणों पर उनके प्रभाव सहित स्वास्थ्य पर प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या रहे;

(घ) क्या सरकार द्वारा मधुमेह और मोटापे से ग्रस्त रोगियों पर 'एवरीडे हाइड्रेशन' पेयों के सेवन के प्रभाव का कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने उन चिंताओं की जांच की है कि 'एवरीडे हाइड्रेशन' पेयों के प्रचार से मानक ओआरएस के उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे उत्पादों की ब्रांडिंग, लेबलिंग और विज्ञापन को विनियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं आयात को विनियमित करने का अधिदेश है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन केंद्र एवं राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है।

एफएसएसएआई ने दिनांक 28.03.2024 के परामर्शी के माध्यम से स्पष्ट किया है कि एफएसएस अधिनियम, 2006 या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों में 'हेल्थ ड्रिंक' को कहीं भी परिभाषित/मानकीकृत नहीं किया गया है। अतः, 'स्वामित्व वाले खाद्य पदार्थ' श्रेणी के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त खाद्य उत्पाद, जो डेयरी आधारित पेय मिश्रण या अनाज आधारित पेय मिश्रण या माल्ट आधारित पेय के निकटतम श्रेणी में आते हैं और ई-कॉमर्स वेबसाइट पर 'हेल्थ ड्रिंक' या 'एनर्जी ड्रिंक' श्रेणी के अंतर्गत बेचे जा रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपनी वेबसाइट पर ऐसे पेय पदार्थों को 'हेल्थ ड्रिंक/एनर्जी ड्रिंक' श्रेणी से हटा/डी लिंक कर दें और उन्हें मौजूदा कानून के अनुसार उचित श्रेणी में रखें।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5, 2019-21) के अनुसार, 24% महिलाएं, 23% पुरुष और 3% बच्चे अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं। अस्वास्थ्यकर आहार, गतिहीन जीवनशैली और पर्यावरणीय कारक मोटापे की बढ़ती व्यापकता में प्रमुख योगदानकर्ता हैं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की बढ़ती खपत, शारीरिक गतिविधि में कमी और जीवनशैली में बदलाव ने इस बढ़ते संकट को और भी गंभीर बना दिया है, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों आबादी प्रभावित हो रही है।

एफएसएसएआई ने अपने नियामक निरीक्षण के तहत, सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को निर्देश जारी किए हैं कि वे "ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ओआरएस)" शब्द वाले किसी भी ब्रांड नाम/उत्पाद नाम को सभी वितरण चैनलों के साथ-साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से तत्काल प्रभाव से हटा दें।

इसके अनुसरण में, 14.10.2025 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी प्रवर्तन अधिकारियों और एफएसएसएआई के क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को एफएसएस अधिनियम, 2006 और संबंधित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे खाद्य व्यवसाय संचालकों और गैर-कार्बोनेटेड जल-आधारित पेय/फल-आधारित पेय/रेडी टु सर्व/तैयार पेय पदार्थों पर "ओआरएस" शब्द का उपयोग करने वाले भ्रामक खाद्य लेबल के खिलाफ नियामक कार्रवाई शुरू करने की सलाह दी गई है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 अनुचित व्यापार प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें भ्रामक विज्ञापनों और दावों पर रोक शामिल है। इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने भ्रामक दावों, लेबलिंग और विज्ञापनों से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विज्ञापन एवं दावे) विनियम, 2018 को अधिसूचित किया है। यह सुनिश्चित करता है कि खाद्य संबंधी विज्ञापन और दावे सटीक, भ्रामक न हों और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप हों। इन आवश्यकताओं का पालन करना खाद्य व्यवसाय की जिम्मेदारी है। इन विनियमों के किसी भी उल्लंघन पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और उसके पश्चात् बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
